रजिस्ट्री सं० डी०-(डी०)—73

REGISTERED NO. D-(D)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 21] नई दिल्ली, शनिवार, मई 26, 1979 (ज्येष्ठ 5, 1901)
No. 21] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 26, 1979 (JYAISTHA 5, 1901)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a Separate Compilation.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	367
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	655
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	31
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	461
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	
भाग II—खण्ड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्टें	—
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	1373
भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	1557
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	175
भाग III—खण्ड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा सरकारी कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	3969
भाग III—खण्ड 2—मुख्य कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	317
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	41
भाग III—खण्ड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1323
भाग IV—गैर सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस	69

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notification relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	367
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	655
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	31
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions. Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	461
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations.	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	1373
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	1557
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	175
PART III—SECTION 1.—Notification issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	396
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	317
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	41
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1323
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies ..	69

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 9 अप्रैल 1979

संकल्प

सं० एफ०-20016/2/78-समन्वय वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के दिनांक 30 अक्तूबर, 1978 के संकल्प सं० एफ०-20016/2/78-समन्वय में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :—

(क) वर्तमान प्रविष्टि (i)(क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी :—

(i)(क) अध्यक्ष-उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री

(ख) वर्तमान प्रविष्टि (vi) के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :—

(vii) विशेष सचिव (पुनरीक्षण याचिका)

(ग) वर्तमान प्रविष्टि सं० (vii), (viii), (ix) तथा (x) को पुनर्संख्यांकित करके क्रमशः (viii), (ix), (x) तथा (xi) कर दिया जाएगा।

(घ) पुनर्संख्यांकित प्रविष्टि (xi) के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :—

(xii) अतिरिक्त सचिव (पुनरीक्षण याचिका)

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रतिलिपि राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, लेखा महा नियंत्रक; महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों, प्रेस सूचना कार्यालय, मुख्य लेखा नियंत्रक, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क/सीमा शुल्क के सभी समाहर्ताओं, नार्कोटिक्स आयुक्त और सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सलाहकार परिषद् के सभी सदस्यों को भेजी जाएं।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एस० वेंकटरमन, अपर सचिव

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 अप्रैल 1979

संकल्प

सं० 7-8/77-एल० यू० (डैस्क-यू०)—लोक लेखा समिति की एक सिफारिश के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यकरण के पुनरीक्षण, विशेषकर उच्च शिक्षा के स्तरों के निर्धारण और तालमेल के लिए और ऐसी सिफारिशें करने के लिए जिनसे वह अपनी जिम्मेदारियां अधिक प्रभावी रूप से निभा सके, अगस्त, 1974 में डा० वी० एस० झा की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी। समिति ने फरवरी, 1977 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी।

पुनरीक्षण समिति द्वारा की गई सिफारिशों की सरकार ने अब जांच कर ली है। समिति की सिफारिशों का सारांश और उन पर सरकार के निर्णय नीचे दिए जा रहे हैं :—

अध्याय II

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पुनरीक्षण/ समिति की सिफारिशें	केन्द्रीय सरकार के निर्णय
1	2
(1) एक उच्चस्तरीय समन्वय संस्था की स्थापना जिसमें उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान के क्षेत्र के विभिन्न संगठनों जैसे यू० जी० सी०, एन० सी० एम० टी०, सी० एस० आई० आर०, ए० ई० सी०, आई० सी० एस० एस० आर०, आई० सी० एच० आर०, आई० सी० ए० आर० आई० सी० एम० आर० तथा ए० आई० सी० टी० ई० के प्रमुख तथा साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि मंत्रालयों और योजना आयोग के प्रतिनिधि उसके सदस्य के रूप में शामिल हों जो वि० अ० आ० तथा गैर-विश्वविद्यालयीय अनुसंधान संगठनों के अधिकार क्षेत्र से बाहर, वि० अ० आ० तथा उच्च शिक्षा संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विश्वविद्यालयों से संबंधित अनुसंधान तथा शिक्षण क्षेत्रों के बीच साधनों के बंटवारे और कार्यकलापों के समन्वय से संबंधित मामलों का निपटान कर सकें। इस नीति	1. सिफारिश को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया गया है। कार्यान्वयन के ब्यौरे अन्य मंत्रालयों/संगठनों के परामर्श से तैयार किए जाने हैं।

1	2
निर्धारक संस्था में एक छोटी सी स्थाई समिति होनी चाहिए जोकि समय-समय पर इसके निर्णयों के कार्यान्वयन की समीक्षा तथा अन्य अनुवर्ती कार्रवाई कर सके।	
(2) प्रत्येक राज्य में एक समन्वय संस्था होनी चाहिए जिसका अध्यक्ष कुलाधिपति हो और जिसमें सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति चुने हुए कालेजों के प्रिंसिपल, स्वतंत्र शिक्षाविद तथा राज्य सरकारों व वि० अ० आ० के प्रतिनिधि शामिल हों जो कि समग्र राष्ट्रीय नीति के अन्तर्गत राज्य स्तर पर उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच समन्वय करें।	2. सिफारिश सिद्धान्त रूप से स्वीकार्य है। राज्य सरकारों को सिफारिश पर विचार करने तथा इसे स्वीकार करने की सलाह दी जाए। पुनरीक्षण समिति द्वारा सुझाई गई समन्वय निकाय की सदस्यता को राज्य सरकारों द्वारा मार्गदर्शी रूपरेखा के तौर पर अपनाया जाए, परन्तु अन्यों को इसमें शामिल करने की उन्हें स्वतंत्रता होगी। राज्यों को ऐसे निकाय स्थापित करने के लिए कुछ प्रोत्साहन दिए जाएं।
(3) अध्यापकों के आदान-प्रधान, पुस्तकालय तथा प्रयोगशाला सुविधाओं को एकत्रित करने तथा विश्वविद्यालयों में अनुसंधान का समन्वय करने के लिए योजना बनाने और उनके कार्यान्वयन का अधिकार वि० अनु० आ० को होना चाहिए।	3. सिफारिश को स्वीकार किया गया है 21 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राज्य स्तर पर अध्यापकों के आदान-प्रदान, पुस्तकालय और प्रयोगशाला सुविधाओं का एकत्रित करने और विश्वविद्यालयों में अनुसंधान के समन्वय के लिए योजनाएं तैयार कर सकता है ऐसी योजनाएं विचार स्वीकृति और कार्यान्वयन के लिए राज्य समन्वय निकायों को सुपुर्द की जा सकती हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राज्य सरकारों द्वारा अपेक्षित सहायता कर सकता है।
(4) उपयुक्त वैज्ञानिक उपायों द्वारा इस बात का प्रावधान किया जाना चाहिए कि जब तक कि वि० अनु० आ० नई संस्था की स्थापना की आवश्यकता के औचित्य के बारे में अपनी सहमति न दे तथा इस बात से सन्तुष्ट न हो कि इस प्रयोजन के लिए समुचित आयोजन पर्याप्त प्रावधान है, कोई नया कालेज या विश्वविद्यालय स्थापित न किया जाए।	(4) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नए विश्वविद्यालय आरंभ करने के बारे में पहले ही मार्गदर्शी रूप-रेखाएं जारी कर दी हैं। नए कालेजों की स्थापना के बारे में भी वैसी ही मार्गदर्शी रूप-रेखाएं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा तैयार करके राज्य सरकारों को विचारार्थ आदि अंगीकार हेतु सूचित की जा सकती है।
(5) वि०अ०आ० को भर्ती के बारे में नीति निदेशक सिद्धांत निर्धारित करने चाहिए जिनका पालन विश्वविद्यालयों तथा कालेजों द्वारा किया जाए।	(5) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों के सहयोग से भर्ती के लिए मार्गदर्शी रूप-रेखाएं तैयार कर सकता है।
(6) राज्य सरकारों तथा संबंधित संस्थाओं के मार्गदर्शन के लिए, आयोग को विश्वविद्यालय तथा कालेज अध्यापकों के लिए कार्यभार के मानदण्ड तैयार करने चाहिए और उन्हें प्रत्येक स्तर पर लागू किया जाना चाहिए। यह मानदण्ड कक्षाओं के लिए लैक्चरों, ट्यूटोरियलों, आन्तरिक मूल्यांकन अनुसंधान के लिए मार्गदर्शन और आयोजन तथा दूसरे कार्यों के लिए आवश्यक स्टाफ की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्थापित किए जाने चाहिए।	(6) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विश्वविद्यालय और कालेज अध्यापकों के लिए कार्यभार और शैक्षिक उत्तरदायित्व के मापदण्ड तैयार करने चाहिए।
(7) वि० अनु० आ० को शिक्षाविदों की सहायता से, समाज के कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों का कालेजों और विश्वविद्यालयों में बराबरी के स्तर पर प्रवेश योग्य बनाने के लिए उपचारी पाठ्यक्रमों की रूप-रेखा तैयार करनी चाहिए।	(7) प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा अपने क्षेत्र में कमजोर वर्ग के विकास के स्तर और परिस्थितियों तथा स्थानीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए उपचारी पाठ्यक्रम तैयार किए जाने चाहिए और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस कार्य में नेतृत्व प्रदान कर सकता है और उन की अपेक्षित सहायता दे सकता है।
(8) शोध की ओर झुकाव तथा विश्वविद्यालयों और कालेजों में लैक्चररों के पदों के लिए प्रत्याशियों के प्रशिक्षण पर वि०अनु० आ० द्वारा जोर दिया जाना एक सही दिशा में कदम है। फिर भी इस बात को देखते हुए कि वि० अनु० आ० द्वारा निर्धारित योग्यताएं जिस कठोरता से कभी-कभी अपनाई जाती हैं, यह उपयुक्त होगा कि स्नातकोत्तर स्तर तथा प्रथम श्रेणी रखने वाले प्रत्याशियों को लैक्चररों	(8) लैक्चरर स्तर पर भर्ती के लिए अनुसंधान डिग्री अनिवार्य योग्यता नहीं होनी चाहिए। यह केवल एक वांछनीय योग्यता हो सकती है। उच्च शैक्षिक रिकार्ड वाले उम्मीदवार लैक्चरर के रूप में चयन के लिए पात्र होने चाहिए। अनुसंधान कार्य, रीडर अथवा प्रोफैसर के चयन के लिए एक अनिवार्य योग्यता हो सकती है।

1	2
के चयन के लिए पात्र बनाना वांछनीय होगा बशर्ते कि वे पांच वर्ष की अवधि में शोध डिग्री हो लेंगे या उसके बराबर उच्च कोटि के शोध कार्य का प्रमाण देंगे, नहीं तो उनकी सेवा समाप्त की जा सकती है।	
(9) यू० जी० सी०, यू० पी० एस० सी० तथा ए० आई० यू० द्वारा स्नातकोत्तर स्तर पर विभिन्न विषयों में एक राष्ट्रीय परीक्षा का आयोजन किया जाना चहिए तथा इस परीक्षा में पास होने वालों को लैक्चररों के पदों पर चुनाव तथा शोध अधिछात्रवृत्तियो के लिए वरीयता दी जाए।]	(9) यह सिफारिश स्वीकार नहीं की गई।
(10) विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को सलाह देने के लिए आयोग को विशेषज्ञों के पैनल तैयार करने चाहिए। विश्वविद्यालयों के कुलाधिपतियो को चुनाव समितियों के लिए अपने प्रतिनिधि वि० अनु० आ० द्वारा बनाए गए पैनलों में से चुनने चाहिए।	(10) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों का एक पैनल रखना चाहिए और उसकी सूचना विश्वविद्यालयो और कालेजो को दे देनी चाहिए। इस प्रकार की सूचियां प्रवरण समितियों में मनोनीत व्यक्तियों/विशेषज्ञों के चयन हेतु कुलपतियों/कुलाधिपतियों को उपलब्ध की जानी चाहिए।
(11) वि० अनु० आ० को विद्यालयों के प्रोफेसरों की नियुक्तियो की प्रक्रियाओं तथा उनकी सेवावधि से अपने को सम्बद्ध करना चाहिए। इसे उपयुक्त व्यक्तियों के विभिन्न विषयों पर पैनल बनाने चाहिए ताकि वह विश्वविद्यालयों को आवश्यकता पड़ने पर उनके नामों की सिफारिश कर सके।	11 सिफारिश स्वीकार नही की गई है।
(12) विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में शिक्षकों के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए आयोग को विश्वविद्यालयों की सहायता करनी चाहिए। आयोग को इसके द्वारा चलाए जाने वाले सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समुचित मूल्यांकन और अनुवर्ती कार्रवाई करनी चाहिए।	(12) सिफारिश स्वीकार की गई है।
(13) बहुत सी उच्च शिक्षा संस्थाओं द्वारा हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षण के माध्यम के रूप में अपनाए जाने को ध्यान में रखते हुए नए माध्यम से पढ़ाने के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान करने तथा साथ ही पुस्तकों और शिक्षण सामग्री के निर्माण के लिए एक विस्तृत कार्रवाई योजना बनानी चाहिए और उसे शीघ्र कार्यान्वित किया जाना चाहिए।	(13) सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इस संबंध में एक विस्तृत योजना तैयार करनी चाहिए।
(14) भारत का राष्ट्रपति समस्त विश्वविद्यालयों का विजीटर होना चाहिए और सभी कानून अधिनियम तथा कुलपतियों की नियुक्ति उसकी पूर्व अनुमति से की जानी चाहिए। उन्हें वि० अ० आ० की सलाह पर समन्वय तथा स्तरों से संबंधित आवश्यक मामलों पर विश्वविद्यालयों को निर्देश देने का अधिकार होना चाहिए।	(14) राज्य सरकारों को इस बात के लिए राजी किया जाना चाहिए कि वे विश्वविद्यालयों संबंधी कानून बनाने के मामलों में भारत सरकार से पूर्व परामर्श करने के लिए सहमत हो जाए।

अध्याय III

सिफारिशें	निर्णय
1	2
(1) नए कालेजों की स्थापना सम्बन्धित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा संबंधित राज्य सरकार द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण के बाद ही जानी चाहिए। यह सर्वेक्षण इन कालेजों की आवश्यकता स्थिति, अध्ययन के पाठ्यक्रम, स्टाफ, भर्ती सीमा तथा अन्य सम्बन्धित बातों के	(1) नए विश्वविद्यालय तथा कालेज स्थापित करने के सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय नीति बनाई जानी चाहिए। ऐसी पद्धति को स्वीकृत करने के लिए राज्य सरकारों को राजी किया जाना चाहिए कि किसी भी नए कालेज की स्थापना सम्बद्ध विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा सम्बन्धित

1	2
	सम्बन्ध में किया जाना चाहिए। कालेज शुरू होने से पहले उसके लिए पर्याप्त वित्तीय सुव्यवस्था होनी चाहिए।
(2) आयोग की स्वीकृति से शुरू होने वाले कालेज की समन्वय तथा स्तर बनाए रखने के लिए प्रारम्भ से ही सहायता दी जाहिए चाहिए। विद्यमान कालेजों को अनुच्छेद 2(च) के अंतर्गत दी जानी वाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता से सम्बन्धित शर्तें कठोर नहीं होनी चाहिए नए कालेजों तथा दूरवर्ती क्षेत्रों में स्थित कालेजों को विशेष छूट दी जानी चाहिए।	(2) इस सिफारिश को इस स्पष्टीकरण के साथ स्वीकार किया जाता है कि जहां तक अर्हताओं का सम्बन्ध है कालेजों को सहायता देने के लिए बनाई गई योजनाओं से कालेज का दूरवर्ती क्षेत्र में स्थित होना अथवा ग्रामीण क्षेत्रों आदि की विशेष आवश्यकतायें जैसी बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
(3) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को शिक्षा विदों की मदद से कालेजों के स्तर का सतत् मूल्यांकन करना चाहिए तथा उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन तथा सहायता देनी चाहिए। आयोग को ऐसे अनावश्यक कालेज को बन्द करने का अधिकार होना चाहिए। जो केवल वही सुविधायें प्रदान करता हो जो उस क्षेत्र में पहले ही उपलब्ध है अथवा उसे उस कालेज को क्षेत्रीय जरूरतों के अनुरूप व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को प्रदान करने वाली संस्था के रूप में मान्यता देने का अधिकार होना चाहिए।	(3) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को कालेजों के स्तर का सतत् मूल्यांकन करना चाहिए तथा उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन तथा सहायता करनी चाहिए किन्तु यह विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों के माध्यम से किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय तथा राज्य सरकारें इस सम्बन्ध में विचार कर सकती हैं कि क्या कोई कालेज शैक्षिक दृष्टि से अव्यवहार्य है और इससे कोई नई सुविधायें नहीं मिलती बल्कि उसी क्षेत्र में उपलब्ध सुविधाओं में दोहराव होता है और क्या इसे बन्द किया जाना चाहिए अथवा इसका पुनर्गठन किया जाना चाहिए।
(4) कालेजों का सम्बन्धन केवल विश्वविद्यालय से किया जाना चाहिए तथा ऐसा सिर्फ शैक्षिक	(4) कालेजों के सम्बन्धन के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार की जानी चाहिए और इसके

1	2
आधार पर ही किया जाना चाहिए और इस बारे में किसी भी बाह्य दबाव पर ध्यान नहीं किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय को किसी भी नए कालेज को बिना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पूर्व स्वीकृति के सम्बद्ध करने का अधिकार नहीं होना चाहिए।	आधार पर इस मामले पर आगे विचार करना विश्वविद्यालय का काम होगा। किसी कालेज को सम्बद्ध करते समय सम्बन्धित विश्वविद्यालय को यह प्रमाणित करना चाहिए कि इस सम्बन्ध में वि० अ० आ० द्वारा निर्धारित रूप रेखायें पूरी हो गई हैं और इसके बाद ही कालेज को आयोग की सहायता के लिए पात्र बन सकता है।
(5) पूरे देश में सम्बद्ध कालेजों को सहायक अनुदान देने की एक समान तथा उचित प्रणाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को समय-समय पर निर्धारित करनी चाहिएं। सबंधित सरकारों को इस प्रणाली का पालन करना चाहिए ताकि कालेजों का संचालन पर्याप्त साधनों की सहायता से किया जा सके। आयोग को मार्गदर्शन तथा प्रक्रिया भी निर्धारित करनी चाहिए ताकि प्रबन्ध समितियां कालेजों के हित में काम कर सकें।	5 आयोग को सम्बद्ध कालेजों की सहायक अनुदान देने तथा उनकी प्रबन्ध समितियों के कार्यकरण के लिए उपयुक्त मार्गदर्शी रूप रेखाएं निर्धारित करनी चाहिए।
(6) आयोग को विद्यमान कालेजों का मार्गदर्शन करना चाहिए ताकि वे आयोग की मदद से निर्धारित समय में अपनी प्रक्रिया में सुधार कर सकें तथा अपेक्षित शैक्षिक और प्रशासनिक स्तर कायम कर सकें। प्रक्रिया में इस बात की व्यवस्था होनी चाहिए कि यदि कोई कालेज अपेक्षित सुधार नहीं कर पाता है तो उसकी मान्यता रद्द कर दी जाए।	(6) सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया है। राज्य सरकार को इसे अपनाने की सलाह दी जानी चाहिए।

1	2
7. आयोग को स्वायत्त कालेजों को चुनने में पहल करनी चाहिए तथा राज्य सरकारों के सहयोग से स्वायत्त कालेजों की भांति काम करने में उनकी मदद करनी चाहिए।	7. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को यह सिफारिश राज्य सरकारों के परामर्श से कार्यान्वित करनी चाहिए।
8. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विशेष रूप से ग्रामीण कालेजों में पाठ्यक्रमों को पुनर्गठित करने के लिए प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि इन पाठ्यक्रमों को ग्रामीण जरूरतों के अनुरूप बनाया जा सके। आयोग को विभिन्न क्षेत्रों की विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए नए पाठ्यक्रमों को अपनाने में विश्वविद्यालयों का मार्गदर्शन करना चाहिए तथा उनकी सहायता करनी चाहिए।	8. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की यह सिफारिश राज्य सरकारों तथा विश्वविद्यालयों के सहयोग से कार्यान्वित करनी चाहिए।
9. संकाय सुधार कार्यक्रम तथा कालेजों में शिक्षण के सुधार सम्बन्धी कार्यक्रम कालेज शिक्षकों के सहयोग से सावधानीपूर्वक तैयार किए जाने चाहिएं तथा नियमित रूप से बाद में की जाने वाली कार्यवाई और संवर्धन सम्बन्धी कार्यवाही की कोई पद्धति निकाली जानी चाहिए।	9. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की यह सिफारिश विश्वविद्यालय/कालेज शिक्षकों के सहयोग से कार्यान्वित करनी चाहिए।
10. कालेजों के दो प्रिंसिपलों अथवा शिक्षकों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का सदस्य नियुक्त किया जाना चाहिए।	10. अध्याय VI की सिफारिश सं० 1 से सम्बन्धित निर्णय देखें।
11. आयोग को कालेजों के सुधार के लिए और अधिक अनुदान देने की जरूरत है क्योंकि कालेज विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के आधार होते हैं और इनमें विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा पाने वाले 85 प्रतिशत छात्र पढ़ते हैं तथा 83 प्रतिशत शिक्षक कार्यरत होते हैं।	11. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राज्य सरकारों को पर्याप्त साधन उपलब्ध करा कर इस दिशा में कार्रवाई करनी चाहिए।

अध्याय 4

सिफारिशें	निर्णय
1	2
1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को पहले से और बहुत ज्यादा धन उपलब्ध किया जाना चाहिए ताकि वह विश्वविद्यालय के स्तर का समन्वय तथा उनमें सुधार करने की अपनी भूमिका निभाने में समर्थ हो सके।	1. कुल राष्ट्रीय अग्रताओं के अन्दर-अन्दर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि वह समन्वय और स्तर सुधार के सम्बन्ध में आपकी भूमिका निभा सके।
2. ये अनुदान प्रत्येक विश्वविद्यालय अथवा कालेज की वित्तीय आवश्यकताओं के आधार पर दिए जाने चाहिए और इनका उपयोग विशिष्टता के केन्द्रों का विकास करने तथा उन्हें बनाए रखने और अन्य शिक्षा संस्थाओं के सामान्य स्तरों का विकास करने के लिए किया जाना चाहिए।	2. और 3. इस सम्बन्ध में अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम में पहले से ही प्रावधान है।
3. आयोग को विश्वविद्यालयों को समग्र वित्तीय स्थिति की जांच करनी चाहिए और विश्वविद्यालयों और कालेजों के विभिन्न आय स्रोतों तथा व्यय की विभिन्न मदों के सम्बन्ध में ठोस सांख्यकीय सूचना तैयार करनी चाहिए। अनुदानों के आवंटन के मामले में विभिन्न संस्थाओं में अध्ययन पाठ्यक्रमों के अनुसार	

1	2
प्रति छात्र व्यय सम्बन्धी आंकड़ों सहित ऐसी सूचना पर विशेष रूप से विचार किया जाना चाहिए ।	
4. केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा उनसे सम्बद्ध कालेजों को अनरक्षण अनुदान देने के लिए वित्तीय व्यवस्था तथा इससे सम्बन्धित कार्य अलग से किया जाना चाहिए और उसका विवरण विकास कार्य कलापों से भिन्न अनरक्षण गतिविधियों पर एक अलग रिपोर्ट तैयार में दिया जाना चाहिए ।	4. सिफारिश स्वीकार की जाती है ।
5. वि० अनु० आ० द्वारा विभिन्न मदों के लिए मैचिंग अनुदान केन्द्रीय तथा राज्य विश्वविद्यालयों को उसी आधार पर दिया जाना चाहिए । तथापि, कालेजों के मामले में विशेषकर जो सुदूरवर्ती क्षेत्रों तथा पिछड़े प्रदेशों में स्थित हैं, शिक्षा-संस्थाओं के हित में मैचिंग प्रणाली में और संशोधन करने की आवश्यकता है ।	5. चूंकि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का सारा खर्च भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है अतः इन विश्वविद्यालयों के लिए मैचिंग अनुदान का कोई प्रश्न नहीं है । कालेजों के सम्बन्ध में सिफारिश स्वीकार की जाती है ।
(6) शिक्षा समवर्ती विषय बनने के परिणामस्वरूप यह सुनिश्चित करने के लिए नियम तथा कार्य-प्रणालियां तैयार की जानी चाहिए ताकि राज्य सरकारों उच्च शिक्षा संस्थाओं में सुधार के लिए आयोग की सभी योजनाओं के संबंध में अपने आनुपातिक हिस्से की व्यवस्था कर सकें । वि० अनु० आ० को भी यह सुनिश्चित करने में समर्थ होना चाहिए कि किसी शिक्षा संस्था को स्थापित होने से पहले उसके प्रायोजित प्राधिकारी द्वारा अन्तः संरचनात्मक संबंधी सुविधाओं की पूर्ण रूप से व्यवस्था की जाए ।	(6) सिफारिश स्वीकार की जाती है । विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए धन की व्यवस्था के लिए राज्य सरकारों को सलाह देने तथा किसी संस्थान को स्थापित करने से पहले अवस्थापना की व्यवस्था करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई कर सकता है । इस सम्बन्ध में शिक्षा मंत्रालय को भी राज्य सरकारों को सलाह देनी चाहिए ।
(7) वि० अनु० आ० अधिनियम में उचित संशोधन करने की आवश्यकता है ताकि आयोग को यह अधिकार प्राप्त हो सके कि वह उच्च शिक्षा संस्थाओं को ऐसे भवनों के निर्माण के लिए ऋण दे सके जिससे उसे कुछ लाभ प्राप्त होगा, जैसे छात्रावास और आवासीय मकान । इस प्रकार की ऋण योजना शुरू करने के लिए आयोग को आवर्ती निधि प्रदान करने की आवश्यकता है । यह ऋण ब्याज मुक्त होना चाहिए तथा इसे आसान किस्तों में वसूल किया जाना चाहिए ।	(7) छात्रावासों और स्टाफ आवासों के निर्माण के लिए ऋण देने से सम्बन्धित सिफारिश स्वीकार की जाती है । यदि आवश्यक हो, तो जीवन-बीमा-निगम जैसी संस्थाओं से धन प्राप्त करके ऐसी परियोजनाओं के लिए वि० अ० आ० द्वारा दिए जा रहे अनुदानों के सम्बन्ध में अपना हिस्सा जुटा कर, यह सिफारिश राज्य सरकारों द्वारा बेहतर ढंग से कार्यान्वित की जा सकती है ।
(8) सभी शैक्षिक इमारतों के लिए मानक नक्शे तथा अन्य रूप-रेखाएं निर्धारित करने के कार्य में वि० अनु० आ० को तेजी लानी चाहिए ।	(8) मानक निर्माण योजनाएं निर्धारित करना सम्भव नहीं है तो भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सभी शैक्षिक भवनों के लिए मानदण्ड निर्धारित करने चाहिएं ।
(9) उच्च अध्ययन केन्द्रों जैसे उत्कृष्टता के केन्द्रों का संचालन वि० अनु० आ० द्वारा नियमित रूप से जारी रखने की आवश्यकता है । ऐसे केन्द्रों का उद्देश्य "पस सैंटर" का काम करना है ।	(9) समय-समय पर उच्च शिक्षा केन्द्रों के निष्पादन के पुनरीक्षण की शर्त पर यह सिफारिश स्वीकार की जाती है ।
(10) आयोग को स्नातकोत्तर और अनुसंधान अध्ययनों के लिए सुधार कार्यक्रमों के अलावा शतप्रतिशत सहायता देने पर भी विचार करना चाहिए ।	(10) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इसी आधार पर विश्वविद्यालयों और कालेजों के स्नातकोत्तर और अनुसंधान अध्यापकों के सुधार के चुने हुए क्षेत्रों में सहायता राशि में पहले ही वृद्धि कर दी है ।
(11) वि० अनु० आ० को उच्च शैक्षिक संस्थाओं को जटिल उपस्कर बनाने के	(11) सिफारिश स्वीकार नहीं की गई ।

1	2
लिए एक परामर्शदात्री एजेंसी के रूप में कार्य करना चाहिए। इससे प्रत्येक संस्था के समय में बचत होगी और उपस्करों की कोटि में भी एकरूपता आएगी।	
(12) अनुदान की किस्तों को जारी करने संबंधी प्रणालियों की पूरी तरह जांच करने और एक ऐसी प्रणाली तैयार करने की आवश्यकता है जो दीर्घकालिक आधार पर शैक्षिक गतिविधियों का प्रभावी रूप से संचालन करने के लिए अनुकूल हों।	(12) सिफारिश स्वीकार की जाती है।
(13) अनुदानों के उपायों की केवल विलास और उपयोगिता प्रमाण-पत्र के आधार पर ही नहीं बल्कि उनकी और विस्तारपूर्वक जांच करने की आवश्यकता है। छोटे-छोटे दलों द्वारा अनुदानों के उपयोग की नमूने के तौर पर वास्तविक रूप से जांच की जानी चाहिए।	(13) सिफारिश स्वीकार की जाती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को ऐसी भौतिक जांच के कार्य में विश्वविद्यालयों का सहयोग लेना चाहिए।
(14) राज्य सरकारों की सहायता से एक प्रणाली तैयार करने की आवश्यकता है ताकि राज्य पी० डब्ल्यू० डी० शिक्षा भवनों का निरीक्षण कर सके और आवश्यक प्रमाणपत्र बिना देरी के जारी किए जा सकें।	(14) सिफारिश स्वीकार नहीं की जाती।

अध्याय—5

सिफारिशें	निर्णय
1	2
(1) कार्य करने की समुचित स्वतंत्रता के साथ, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंग के रूप में एक उचित संगठन स्थापित किया जाना चाहिए और इसे निरन्तर उच्च शिक्षा के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन तथा शोध कार्य करना चाहिए।	(1), (2) और (3) सिफारिशें सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर ली गई हैं। ब्यौरे तैयार करने की आवश्यकता है।

1	2
	विज्ञान अनुसंधान परिषद् को या पहले से ही स्थापित या आयोग द्वारा प्रस्तावित अन्य एककों को इसमें मिला दिया जाए।
(2) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को, इस संगठन के द्वारा उच्च शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन आयोजित करना चाहिए, जैसे शिक्षा की अधिक लागत तथा उन्हें कैसे कम किया जाए, ग्रामीण उच्च शिक्षा और उसे विशाल ग्रामीण क्षेत्रों की सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप कैसे बनाया जाए, उच्च शिक्षा में नामांकन तथा प्रवेश नीति, अध्ययन पाठ्यक्रम तथा परीक्षा सुधार, शिक्षा पद्धतियों में अभिनव परिवर्तन, शिक्षा सामग्री तथा प्रौद्योगिकी भाषाओं का विकास तथा पुस्तकों का निर्माण करना चाहिए। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से एक निकासी गृह का कार्य करे। इसके पास एक सुदृढ़ सांख्यिकी एकक तथा साथ ही उच्च शिक्षा आयोजन और सामान्य रूप से उच्च शिक्षा के मूल्यांकन तथा विशेष रूप से वि० अनु० आ० से सुधार कार्यक्रमों के प्रचार से संबंधित एकक भी होने चाहिए।	
(3) अनुसंधान योजनाओं के संचालन में विश्वविद्यालयों के अनुसंधान विभागों तथा साथ ही शिक्षाविदों को भी शामिल किया जाना चाहिए। अनुसंधान कार्यकलापों को उच्च शैक्षिक आयोजकों तथा प्रशासकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ जोड़ा जाना चाहिए।	

1	2
(4) उच्च शिक्षा के आयोजन की जिम्मेदारी वि० अनु० आ० की होनी चाहिए, जो योजना आयोग तथा अनुसंधान संस्थाओं और शिक्षा के उन अन्य विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित एजेंसियों के साथ निकट सहयोग से कार्य करें जो आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, योजना आयोग के साथ निकट-वर्ती संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से योजना आयोग के सचिव को वि० अनु० आ० का पदेन सदस्य बनाया जाये । इसी प्रकार से वि० अनु० आ० और विश्वविद्यालय पद्धति का एन० सी० एस० टी० के साथ निकट संबंध होना चाहिए और एन० सी० एस० टी० में शिक्षाविदों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए ।	(4) अध्याय VI और VII में दी गई सिफारिशों से सम्बन्धित निर्णय देखें ।
(5) शैक्षणिक आयोजन अपने स्वरूप से ही पूरी पीढ़ी के लिए ही किया जाता है और उद्देश्य तथा साथ ही नीतियां इसी संदर्भ में तैयार की जाती हैं । वि० अनु० आ० को उच्च शिक्षा के लिए दीर्घ-कालीन सापेक्ष महत्व की योजनाएं बनानी चाहिए तथा राष्ट्रीय आवश्यक-ताओं के अनुरूप माडलों का विकास करना चाहिए । विभिन्न पंच-वर्षीय योजनाओं के लिए योजनाएं सापेक्ष महत्व की योजनाओं के संदर्भ में बनाई जानी चाहिए । आयोग के विचारार्थ आयोजना संबंधी प्रस्ताव तैयार करने का कार्य, अनुसंधान, आयोजन तथा मूल्यांकन के लिए प्रस्ता-वित संगठन को सौंपा जाना चाहिए ।	(5) सिफारिश स्वीकार कर ली गई ।
(6) उच्च शिक्षा के लिए परि-व्ययों के बारे में योजना आयोग काल की वचन-बद्धता पक्की होनी चाहिए और काफी पहले ही की जानी चाहिए ताकि योजना की अवधि के लिए कार्यक्रमों की उपयुक्त योजना बनाई जा सके ।	(6) यद्यपि सिफारिश सं० 5 के संदर्भ में अग्रिम रूप से वचनबद्ध होना योजना आयोग के लिए संभव नहीं है, तथापि दीर्घविधि परिव्ययों के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को मोटे-मोटे और विश्वसनीय संकेत दिए जाने चाहिए ।
(7) शिक्षा प्रमुख रूप से एक योजनेतर कार्यकलाप है और उच्च शिक्षा के योजनेतर क्षेत्र की लगा-तार समीक्षा और शैक्षिक विकास की समग्र नीति को ध्यान में रखते हुए, संशोधनों की आव-श्यकता है । वि० अनु० आ० को राज्यों के उच्च शिक्षा के योजनेतर कार्य-क्रमों की जांच करने और उनमें संशोधन करने का अधिकार होना चाहिए । यह तभी सम्भव है जब शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया जाए ।	(7) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विश्व-विद्यालयों के लिए विकास कार्यक्रमों पर विचार करते समय योजनेतर पक्ष पर उनके व्यय को ध्यान में रखना चाहिए ताकि योजनेतर तथा योजनागत दोनों कार्यकलापों का समन्वय किया जा सके तथा सारे कार्यक्रम को अधिक उत्-पादक और उद्देश्यपूर्ण बनाया जा सके ।
(8) एक ऐसी पद्धति के विकास की आवश्यकता है जिसमें यह सुनिश्चित किया जाए कि योजना अवधि समाप्त होने पर सभी कार्यक्रमों को विश्व-विद्यालय के बगैर-योजना बजट में शामिल किए जाने पर उनके लिए पर्याप्त प्रावधान किया जाए । वित्त आयोग द्वारा राज्यों के लिए किए गए आवंटन में से परिव्ययों में निर्धारित उच्च शिक्षा के लिए वचनबद्ध अंश के अनुरूप प्रावधान का अन्य क्षेत्रों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए ।	(8) सिफारिश स्वीकार की जाती है ।
(9) शैक्षिक कार्यक्रम तैयार करने के लिए यहां तक कि गैर-व्यावसायिक उच्च शैक्षिक क्षेत्रों में तैयार करने और नामां-कन नीति निर्धारित करने के लिए जनशक्ति संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए । विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में उपयुक्त स्तरों को सुनिश्चित करने के लिए सामान्य उच्च	(9) जनशक्ति की आवश्यक-ताओं के सम्बन्ध में गैर व्यावसायिक उच्च शिक्षा कार्यक्रमों को तैयार करना कठिन हो सकता है, फिर भी सिफा-रिश सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर ली गई है तथा इस दिशा में सक्षम एजेंसियों के सहयोग से कार्य आरम्भ किया जाना चाहिए ।

1	2	3
	शिक्षा में संस्थाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है।	
(10)	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को, भारतीय विश्वविद्यालय संघ तथा अन्य शैक्षणिक तथा साथ ही व्यावसायिक संस्थाओं के सहयोग से विश्वविद्यालयों के विभागों तथा कालेजों के ग्रेडिंग तथा मान्यता प्रदान करने का कार्य करना चाहिए और मान्यता के लिए उपयुक्त पद्धति तैयार करनी चाहिए। आयोग को, स्तरों में गिरावट के आधार पर किसी विश्वविद्यालय की डिग्री की मान्यता समाप्त करने के सम्बन्ध में सरकार को सिफारिश करने का अधिकार होना चाहिए जैसा कि भारतीय चिकित्सा परिषद् को चिकित्सा कालेजों के संबंध में है।	(10) प्रत्यायन के सम्बन्ध में सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। किसी डिग्री की मान्यता को समाप्त करने के बारे में इसे स्वीकार नहीं किया गया है। प्रत्यायन या गैर-प्रत्यायन के तथ्य को बता देने से ही उद्देश्य पूरा हो जाएगा।
(11)	शिक्षाविदों के दर्जों के माध्यम से पी० एच० डी० निबन्धों, परीक्षाओं, उच्च शिक्षा संस्थानों में कक्षा शिक्षण के मूल्यांकन की एक पद्धति होनी चाहिए।	(11) सिफारिश स्वीकार है।
(12)	विश्वविद्यालयों तथा कालेजों द्वारा अध्यापकों के वार्षिक आधार पर मूल्यांकन के लिए एक पद्धति का विकास करना चाहिए। उत्कृष्ट व्यक्तियों को उपयुक्त इनाम देने के लिए अध्यापकों का वार्षिक मूल्यांकन करते समय इस वार्षिक मूल्यांकन को ध्यान में रखा जाए। घटिया कार्य के लिए दण्ड की भी कोई पद्धति होनी चाहिए।	(12) सिफारिश सिद्धान्त रूप में स्वीकार है।
(13)	विजिटिंग समितियों के कामकाज में सुधार करने की आवश्यकता है और बड़ी संख्या में उत्कृष्ट तथा सत्यानिष्ठ शिक्षाविदों के संस्थाओं के निरीक्षण तथा मूल्यांकन के कार्य में शामिल किया जाना चाहिए।	(13) सिफारिश स्वीकार है।
(14)	शिक्षण में सुधार करने तथा विश्वविद्यालयों के विभागों और कालेज में संकाय सुधार के उद्देश्य से सभी कार्यक्रमों का नियमित रूप से प्रचार किया जाना चाहिए।	(14) सिफारिश स्वीकार है।

अध्याय 6

सिफारिशें		निर्णय
1	2	3
(1)	इस समय आयोग के सदस्यों की संख्या 12 है (इसमें अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष शामिल हैं)। इस संख्या को बढ़ाकर 18 कर दी जानी चाहिए। बढ़ाए जाने वाले अतिरिक्त 6 सदस्य इस प्रकार होंगे :	(1) आयोग की सदस्यता बढ़ाना आवश्यक नहीं है, यह एक सुसंगठित निकाय होना चाहिए। विभिन्न वर्गों के अन्तर्गत सदस्य चुनते समय पुनरीक्षण समिति की सिफारिशें ध्यान में रखी जा सकती हैं विशेष तौर पर उस व्यक्ति के संबंध में जो माध्यमिक शिक्षा का ज्ञान रखता हो। जबकि सरकार उल्लिखित सिफारिशों के कारणों को स्वीकार करती है जिनका उद्देश्य
	(क) कालेज के दो शिक्षक (प्रिंसिपल समेत)। जहां तक सम्भव हो इनमें से एक किसी महिला कालेज से होना चाहिए।	
	(ख) माध्यमिक शिक्षा से एक व्यक्ति।	उच्च शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों, प्रौढ़ शिक्षा की
	(ग) ग्रामीण उच्च शिक्षा का एक विशेषज्ञ।	नवीन भूमिका और ग्रामीण शिक्षा के साथ वि० अनु० आ० का
	(घ) अनौपचारिक शिक्षा का एक विशेषज्ञ।	घनिष्ठ संबंध जोड़ना है, आयोग व्यापक आधार वाली एक 25
	(ङ) सचिव, योजना आयोग जो, पदेन सदस्य होगा।	से 30 सदस्यों की सलाहकार समिति गठित कर सकता है, जो पुनरीक्षण समिति द्वारा सुझाए गए हितों का प्रतिनिधित्व करेगी। सलाहकार समिति की बैठक वर्ष में दो बार हो सकती है।
(2)	सदस्यों को इस प्रकार चुना जाना चाहिए ताकि	(2) सिफारिश स्वीकार कर ली गई है।

1	2
आयोग में सभी विषयों का और देश के विभिन्न भागों के सभी विश्व विद्यालयों का प्रतिनिधित्व हो जाए।	
(3) आयोग को चाहिये कि वह शिक्षा मंत्रियो और उप कुलपतियों, चुने हुए कालेजो के प्रिंसिपलों और राज्य शिक्षा अधिकारियों का वार्षिक सम्मेलन देश के विभिन्न भागों में करे इसके अतिरिक्त हर साल दिल्ली के अतिरिक्त अन्य स्थानों में स्वयं आयोग की भी बैठक की जानी चाहिये।	3. ऐसे सम्मेलन शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से आयोजित किये जा सकते हैं सिफारिश स्वीकार कर ली गई।
(4) आयोग के कार्यालय में दो मुख्य प्रभाग होने चाहियें: (क) शैक्षिक नियोजन तथा नीति और (ख) प्रशासन तथा अनुदान।	4. सिफारिश स्वीकार कर ली गई है।
(5) नियोजन तथा नीति प्रभाग का अध्यक्ष कोई ऐसा प्रतिष्ठित शिक्षाविद होना चाहिये जो नियोजन का विशेषज्ञ हो। इस प्रभाग में 4 वरिष्ठ शिक्षाविद भी होने चाहिये जो विभिन्न मुख्य विषयों के हों। ये सदस्य अपने-अपने विषयो में अनुसन्धान तथा मूल्यांकन के इन्चार्ज होने चाहिये और इन को वे क्षेत्र सौंपे जाने चाहिये जिनमें उनको विश्वविद्यालयों तथा कालेजों मे नियमित सम्पर्क रखना होगा।	5. सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। प्रस्तावित योजना और नीति प्रभाग के ब्यौरे तैयार करने होंगे।
(6) नियोजन तथा नीति प्रभाग का अध्यक्ष अनुसन्धान नियोजन तथा मूल्यांकन का भी अध्यक्ष होगा जिसका उल्लेख अध्याय में किया गया है। यह व्यक्ति आयोग का तो सदस्य नही होगा किन्तु इसका दर्जा आयोग के उपाध्यक्ष के बराबर होना चाहिये और इस को आयोग तथा इसके अध्यक्ष विशेषज्ञ-सलाहकार के रूप में काम करना चाहिये।	6. सिफारिश स्वीकार कर ली गई है।
(7) कार्यकाल के आधार पर वरिष्ठ शिक्षाविदों को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाना चाहिये। प्रतिनियुक्ति की शर्तें उदार होनी चाहिये और इस बात का आश्वासन दिया जाना चाहिये कि रिहायश की सुविधायें दी जायेंगी और अनुसन्धान कार्य के लिये अवसर दिये जायेंगे। आयोग के कार्यालय में अन्य शैक्षिक कर्मचारी भी प्रतिनियुक्ति के आधार पर शिक्षा संस्थाओं से नियुक्त किये जाने चाहिये।	7. सिफारिश स्वीकार कर ली गई है।
(8) सचिव प्रशासन प्रभाग का अध्यक्ष होना चाहिये और वह अध्यक्ष के प्रति जिम्मेदार होना चाहिये यह पद कार्यकाल के आधार पर भरा जाना चाहिये और जहां तक हो इस पर शिक्षा का अनुभव रखने वाला कोई प्रशासक अथवा प्रशासनिक अनुभव वाला कोई शिक्षाविद नियुक्त किया जाना चाहिये।	8. सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। आयोग के सचिव और अपर सचिव का दर्जा उपयुक्त स्तर तक ऊंचा किया जाना चाहिये।
(9) विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियो के लिये सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिये	9. सिफारिश स्वीकार कर ली गई है।
(10) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अपने काम की ऐसी प्रक्रिया बनानी चाहिये जो किसी ऐसे संगठन के काम के लिये दक्ष हों, जिसको शैक्षिक नीतियों तथा कार्यक्रमों के बारे में काम करना होता है।	10. सिफारिश स्वीकार कर ली गई है।
(11) प्रस्तावित नये संगठन की संरचना को देखते हुए कर्मचारी सम्बन्धी जरूरतों को यथासंगत	11. सिफारिश स्वीकार कर ली गई है।

1	2
बनाना होगा। भर्ती नियमों की भी समीक्षा करनी होगी।	
(12) आयोग को अपनी समितियों के काम में बड़ी संख्या में शिक्षाविदों को शामिल करना चाहिये और उनको थोड़े समय के लिये ठहरने के लिये सुविधा देनी चाहिये ताकि वे अपने काम दक्ष तरीके से कर सकें।	12. सिफारिश स्वीकार कर ली गई है।
(13) आयोग की वार्षिक रिपोर्ट में इसके अधिनियम के अनुसार न केवल "पिछले वर्ष के दौरान इसके कामों का सच्चा तथा पूरा विवरण" दिया जाना चाहिये, बल्कि संसद को यह बताया जाना चाहिये कि उच्च शिक्षा की समस्याओं और इसके स्वरूप के बारे में आयोग का क्या विचार है और विश्वविद्यालयों में तालमेल तथा स्तर की क्या स्थिति है।	13. सिफारिश स्वीकार कर ली गई है।
(14) आयोग को चाहिये कि हर 10 साल में एक बार यह अपने कार्य तथा संगठन की आवधिक समीक्षा की प्रणाली तैयार करे।	14 सिफारिश स्वीकार कर ली गई है।

अध्याय 7

सिफारिशें	निर्णय
1	2
7.3 (क) भारत के राष्ट्रपति को देश के सभी विश्वविद्यालयों का कुलपति (विजिटर) होना चाहिये।	7.3(क) सिफारिश स्वीकार नहीं की गई।
7.3 (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित मामलों विशेषकर, समन्वय तथा स्तर सम्बन्धी मामलों में, कुलपति के लिये सलाहकार एजेंसी होनी चाहिये।	7.3(ख), (ग), (घ) और (ङ) ये सिफारिशें स्वीकार नहीं की गई हैं।
(ग) विश्वविद्यालयों के सभी अधिनियम तथा कानून कुलपति की पूर्व अनुमति से बनाये जाने चाहिये तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इस सम्बन्ध में कुलपति को सलाह देनी चाहिये।	
(घ) सभी विश्वविद्यालयों के उप-कुलपति, कुलपति, की पूर्व अनुमति से नियुक्ति किये जाने चाहिये।	
(ङ) कुलपति को यह अधिकार होना चाहिये कि वह आयोग की सलाह से देश के सभी विश्वविद्यालयों को समन्वय तथा स्तर सम्बन्धी मामलों में निर्देश दे सके।	
7.4(क) जैसा कि अध्याय VI में सिफारिश की गई है, आयोग में छः और सदस्य होने चाहिये।	7.4 (क) अध्याय VI की सिफारिश संख्या 1 का निर्णय देखें।
7.4 (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नाम बदल कर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग रखना चाहिये जो अधिक उपयुक्त होगा।	7.4(ख) वि० अनु० आ० का नाम आमतौर पर सब जानते हैं अतः आयोग का नाम बदलने की आवश्यकता नहीं है।
7.4 (ग) नये विश्वविद्यालय तथा कालेजों की स्थापना के लिये आयोग से पूर्वानुमति लेना आवश्यक होना चाहिये।	7.4(ग) नये विश्वविद्यालयों और कालेज खोलने के लिये वि० अनु० आ० अधिनियम के वर्तमान उपबन्ध ही पर्याप्त हैं।
7.4 (घ) आयोग के कार्यों में देश के सभी विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में समन्वय तथा स्तर के सुधार से सम्बन्धित कार्यकलाप सम्मिलित होने चाहिये। इसे अनुसन्धान, नियोजन तथा उच्च शिक्षा के मूल्यांकन का काम सौंपना चाहिये। आयोग को विश्वविद्यालय के विभागों तथा कालेजों के प्रत्यायन की पद्धति निर्धारित करने का विशेषाधिकार होना चाहिये। कानूनन आयोग को यह अधिकार होना चाहिए कि वह स्तर में कमी के	7.4(घ) यह सिफारिश सिद्धान्त रूप में मान ली गई है। इसका कार्यान्वयन प्रशासनिक कार्रवाईयों के माध्यम से होना चाहिये। अध्याय V की सिफारिश सं० 10 से सम्बन्धित निर्णय को भी देखें।

1	2
आधार पर किसी विश्व-विद्यालय की डिग्री की मान्यता रद्द करने की सिफारिश सरकार से कर सके। भारतीय चिकित्सा परिषद का मेडिकल कालेजो के सम्बन्ध में यह अधिकार प्राप्त है।	
7.4 (ङ) आयोग को विश्वविद्यालयों तथा कालेजो को भवन निर्माण के लिये अग्रिम ऋण देने का अधिकार होना चाहिये।	(ङ) यह सिफारिश स्वीकार नही की गई।
7.4 (च) आयोग की वार्षिक रिपोर्ट में इसके कार्य-कलापो की सही तथा पूर्ण जानकारी दी जानी चाहिये। इसमें उच्च शिक्षा की समस्याओं को शामिल किया जाना चाहिये। विश्वविद्यालयो और कालेजो में समन्वय तथा स्तर सम्बन्धी विवरण भी इसमें दिया जाना चाहिये तथा इसे संसद में पेश किया जाना चाहिये। वार्षिक रिपोर्ट को भी विश्वविद्यालयो तथा राज्य सरकारो को भेजा जाना चाहिये।	(च) सिफारिश स्वीकार कर ली गई हैं। इसके लिये विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत बनाये जाने वाले नियमो/विनियमों में उचित व्यवस्था की जानी चाहिये।
7.4 (छ) आयोग को (i) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा इन से सम्बन्ध कालेजो तथा अन्य [ऐसी संस्थाओं के अनुरक्षण सम्बन्धी कार्य-कलापों, जिन्हें अनुरक्षण अनुदान दिया गया हो, तथा (ii) सभी विश्वविद्यालयों के विकासात्मक कार्यकलापों के बारे में अलग से रिपोर्ट देनी चाहिये।	(छ) इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया है।
7.6 (13)(3): संविधान के अनुच्छेद 30(1): 'धरण' के बाद, के स्थान पर, लिखें और निम्नलिखित जोड़े: सातवी अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 66 के अन्तर्गत बनाये गये कानून, नियमो अथवा विनियमो की आवश्यकताओं को देखते हुए"।	संवैधानिक संशोधन आवश्यक नहीं होगा। तथापि, सहायता की योजना के लिये वि० अनु० आ० द्वारा निर्धारित मानदण्ड सभी संस्थाओं पर समान रूप से लागू होगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति, समुचित कार्रवाई के लिये, जहां भी आवश्यक हो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सभी राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय समझे जाने वाली संस्थाओं, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, राष्ट्रपति सचिवालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय इत्यादि को भेज दी जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की सूचना के लिये इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

पी० सबानायगम, सचिव

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, दिनांक 30 अप्रैल 1979

संकल्प

नौवहन

स० एम० एस० डी० (57)/78 एम० डी०:—भारत सरकार ने नौवहन उद्योग के मौजूदा संकट को ध्यान में रखते हुए भारतीय नौवहन सम्बन्धी समस्याओं की जांच करने के लिये एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने का निर्णय किया है। इस समिति का गठन इस प्रकार होगा :—

(1) डा० आर० एम० होनावर मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय, (आर्थिक कार्य विभाग), नई दिल्ली।	अध्यक्ष
(2) श्री जी० बी० कपाडिया, अध्यक्ष, जनरल इन्शोरेंस कारपोरेशन, इंडस्ट्रियल एश्योरेंस बिल्डिंग, चर्च गेट, बम्बई 400020।	सदस्य
(3) श्री डी० एस० सिम, सेवा निवृत्त संयुक्त सचिव, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय।	सदस्य
(4) श्री एस० के० सहगल चीफ, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली।	सदस्य
(5) कार्यकारी निदेशक, नौवहन विकास निधि समिति, ओरियेन्ट हाउस, मंगलूर स्ट्रीट, वैलार्ड एस्टेट, बम्बई 400038।	सदस्य
(6) वित्तीय सलाहकार और संयुक्त सचिव, भारत सरकार, नौवहन और परिवहन मंत्रालय।	सदस्य

नौवहन विकास निधि समिति के सदस्य सचिव इस समिति के सचिव होगे।

2 समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :

(i) भारतीय नौवहन को सरकार द्वारा 31 मार्च, 1979 तक पहले ही से स्वीकृत एकमुश्त सहायता के पर्याप्त होने के बारे में अध्ययन करना और वर्तमान नौवहन संकट को नियंत्रित करने के लिये दीर्घकालीन उपायों के बारे में सिफारिश करना ।

(ii) भारतीय नौवहन कम्पनियों के आकार, स्वामित्व और उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनके मौजूदा प्रबन्ध ढांचे की कार्यक्षमता की जांच करना और यदि आवश्यक हो तो इसमें परिवर्तन के बारे में सुझाव देना ।

(iii) इस बात पर विचार करना कि जहाजी बेड़े को अधिक संतुलित और सशक्त बनाने के लिये क्या मौजूदा नौवहन कम्पनियों का पुनर्वर्गीकरण आवश्यक या संभव है ।

(iv) यह सुझाव देना कि यदि कुछ जहाजी कम्पनियां और सहायता दिये जाने के लिये निर्धारित प्राथमिक शर्तें पूरी नहीं कर सकती हैं तो उनके लिये क्या कार्रवाई की जाये ।

(v) क्या नौवहन विकास निधि समिति दोषी कम्पनियों को बन्धक रखना बन्द कर दे और सरकार उन्हें मिला कर एक नई सरकारी नौवहन कम्पनी बनाये ।

(vi) इस बात की जांच करना कि भारतीय नौवहन कम्पनियों को नौवहन विकास निधि समिति द्वारा निर्धारित मौजूदा वित्तीय और अन्य शर्तों से कहां तक छूट दी जाये या वर्तमान संकट से उभारने के लिये उनकी सहायता करने की प्रक्रिया में कहां तक संशोधन किया जाये जिससे ये कम्पनियां मौजूदा संकट का सामना कर सकें; और

(vii) कोई अन्य सिफारिश करना जिससे भारतीय नौवहन उद्योग की वित्तीय और कार्यकरण स्थिति में सुधार हो सके ।

3 समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा ।

4 समिति अपनी रिपोर्ट अपने गठन की तारीख से तीन महीनों की अवधि में प्रस्तुत कर देगी । जब तक समिति अपनी अन्तिम रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत करती है तब तक वह 31 मार्च, 1979 के बाद नौवहन कम्पनियों को सहायता दिये जाने के लिये सुझाव देते हुए अपनी एक अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकती है ।

5 समिति अपनी कार्यविधि तैयार करेगी । समिति जो भी सूचना या साक्ष्य आवश्यक समझेगी उसे वह मंगवा सकती है और एकत्र कर सकती है । समिति जो भी सूचना या सहायता चाहेगी वह भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग उसे प्रदान करेंगे ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र के भाग I खंड 1 में प्रकाशित किया जाये ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/समवर्ती राज्य सरकारों/प्रशासनों/संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य सभी संबंधितों को भेजी जाये ।

श्रीमती वी० निर्मल, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

DEPARTMENT OF REVENUE

New Delhi, the 9th April 1979

RESOLUTION

No. F-20016/2/78-Coord.—The Ministry of Finance (Department of Revenue) Resolution No. F-20016/2/78-Coord., dated the 30th October, 1978, is hereby amended as under :—

(a) For the existing entry (i)(a), the following shall be substituted :—

(i) (a) Chairman—Deputy Prime Minister and Minister of Finance.

(b) After the existing entry (vi), the following shall be added :—

(vii) Special Secretary (Revision Applications).

(c) The existing entries (vii), (viii), (ix) and (x), shall be re-numbered as (viii), (ix) (x) and (xi) respectively;

(d) After the re-numbered entry (xi), the following shall be added :—

(xii) Additional Secretary (Revision Applications).

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to the President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok-Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, Comptroller and Auditor General of India, Controller General of Accounts, Accountant General, Central Revenues, all Ministries and Departments of the Government of India, Press Information Bureau, Chief Controller of Accounts, Central Board of Excise and Customs, All Collectors of Central Excise/Customs, Narcotics Commissioner, and all Members of the Customs and Central Excise Advisory Council.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. VENKATARAMAN,
Additional Secretary

MINISTRY OF EDUCATION & SOCIAL WELFARE

(DEPARTMENT OF EDUCATION)

New Delhi, the 30th April 1979

RESOLUTION

No. 7-8/77-LU-Desk(U).—In pursuance of a recommendation of the Public Accounts Committee, the Central Government had appointed in August 1974, a Committee headed by Dr. V. S. Jha to review the functioning of the University Grants Commission, with particular reference to co-ordination and determination of standards of higher education and to make recommendations conducive to more effective discharge of its responsibilities. The Committee submitted its Report in February 1977.

The recommendations made by the Review Committee have been examined by Government. A summary of the recommendations of the Committee and the decisions of the Government are set out below :—

CHAPTER—II

Recommendations of the UGC Review Committee	*Decisions of the Central Government*
1. A high-level coordinating body with heads of different organisations dealing with higher education and research like UGC NCST, CSIR, AEC, ICSSR, ICHR, ICAR, ICMR and AICTE as well as senior representatives of the ministries of education, health and agriculture and the Planning Commission as its members, may be established to deal with matters of policy regarding co-ordination of activities and sharing of resources between areas of teaching and research involving universities falling within the purview of the UGC, higher educational institutions outside the purview of U.G.C. and non-university research organisations. This policy-making body should have a small standing committee which should from time to time review the implementation of its decisions and take other follow-up action.	1. The recommendation is accepted in principle; The details of implementation to be worked out in consultation with other Ministries/Organisations.
2. In each State, there should be a coordinating body, headed by the Chancellor of all Vice-Chancellors of universities, selected college principals, independent academicians and representatives of the State Government as well as of the UGC to affect coordination among higher educational institutions at the State level within the overall national policy.	2. The recommendation is accepted in principle. The State Governments may be advised to consider and adopt the recommendation. The membership of the coordinating body suggested by the Review Committee may be adopted as a guideline by the State Governments, but they may be free to include others also. States may be given some incentives for setting up such a body.
3. The Commission should be given the authority to have plans prepared and implemented for exchange of teachers, pooling of library and laboratory facilities, and coordination of research in universities.	3. The recommendation is accepted. The UGC may draw up plans for exchange of teachers, pooling of library and laboratory facilities and coordination of research in universities at the State level. Such plans may be commended to the State coordinating bodies for consideration, adoption and implementation. The University Grants Commission may render such help as is required by the State Governments in this regard.
4. It should be provided through proper legislative action that no university or college will be established unless the UGC concurs that it finds the need for a new institution justified and is satisfied that there is proper planning and adequate provision of resources for the purpose.	4. The University Grants Commission have already issued guidelines regarding the starting of new universities. Similar guidelines regarding setting up of new colleges may be prepared by the UGC and conveyed to the State Governments for consideration and adoption.
5. The UGC should lay down guidelines in respect of enrolment policy which should be followed by universities and colleges	5. The University Grants Commission in collaboration with the universities may draw up guidelines for enrolment.
6. For the guidance of State Governments and institutions concerned, the Commission should evolve norms of workload for university and college teachers which should be applicable at all levels. These norms should take into account the requirements of staff for classroom lectures, tutorials, internal assessment, conduct and guidance of research and other activities.	6. The University Grants Commission should evolve norms of workload and academic accountability for university and college teachers.
7. The UGC should, with the help of academicians, draw a framework of remedial courses for students from weaker sections of society to enable them to get admission to universities and colleges on a level of equality.	7 Remedial courses should be drawn up by each university, considering the circumstances and stage of development of weaker sections and local conditions in the area and the University Grants Commission may provide leadership and render such assistance as may be required.
8. The UGC's emphasis on research aptitude and training of candidates for posts of lecturers in universities and colleges is a move in the right direction. However, in view of the rigidity with which the qualifications prescribed by the UGC are sometimes applied, it would be desirable to make candidates with first class career up to master's level eligible for selection as lecturers on the condition that they obtain within a period of five years a research degree or give evidence of research work of equally high standard failing which their tenure would be liable to be terminated.	8. For recruitment at lecturer's level, a research degree should not be an essential qualification It may only be a desirable qualification Candidates with high academic record should be eligible for selection as lecturer. Research work may be a necessary qualification for selection as Reader or Professor

9. A national examination should be organised jointly by the UGC, UPSC and AIU for post-graduates in different subjects and candidates who are declared successful in this examination should be given weightage for selection to the posts of lecturers and for research fellowships	9. The recommendation is not accepted.
10. The Commission should maintain panels of experts in different subjects to be able to advise universities and colleges. The Chancellors of universities should select their nominees on the selection committees out of the panel of experts maintained by the UGC	10. The University Grants Commission should maintain a panel of experts in different subjects and inform the universities and colleges to this effect. Such lists should be made available to the Chancellors/ Vice-Chancellors for selection of nominees/experts on selection committees.
11. UGC. should concern itself with the methods of appointment and tenure of professors of universities. It should maintain a panel of suitable persons for professorships in different subjects to be able to commend such names should a university want them.	11. The recommendation is not accepted.
12. The Commission should help the universities to organise initial training of teachers in universities and colleges. It should have a proper follow-up and evaluation of in-service training programmes which it is conducting.	12. The recommendation is accepted.
13. In view of the adoption of Hindi and regional languages as media of instruction by various higher educational institutions, a detailed plan of action for training teachers to teach through the new media as well as for preparation of books and teaching material should be drawn up and implemented expeditiously.	13. The recommendation is accepted. The UGC should draw up a detailed plan of action in this regard.
14. The President of India should be the Visitor of all Universities and all acts and statutes as well as appointments of vice-chancellors should be subject to his prior approval. He should have the authority to issue, on the advice of the UGC, such directions to universities as may be considered necessary in matters relating to coordination and standards.	14. The State Governments should be persuaded to agree to a convention to have prior consultation with Government of India in matters of university legislation.

CHAPTER - III

1. New colleges should be set up only after a joint survey by the affiliating university, the UGC and the state government concerned regarding their need, location courses of study, staff, limits of intake and other relevant factors. An adequate minimum financial suport must be available before a college is started.	1. A national policy should be framed regarding setting up of new universities and colleges. The State Governments may be persuaded to accept the procedure that a new college should be set up only after a joint survey by the affiliating university, UGC and the State Government concerned.
2. Once a college comes into existence with the Commission's approval, it should be eligible for assistance for measures to achieve coordination and standards right from the beginning. Conditions regarding eligibility of existing colleges to be entitled to UGC's assistance under section 2(f) should not be rigid and newer colleges and those in remote areas should be given special consideration.	2. The recommendation is accepted with the clarification that schemes drawn up for giving assistance to colleges should take into consideration, in the matter of qualifications, factors such as location of a college in a remote area or special needs of rural areas, etc.
3. The UGC should, with the help of academicians, undertake continuous assessment of the standards of colleges and provide necessary guidance and help to them. It should be empowered to close down a none-viable college which only duplicates facilities already available in the same area or to reorganise it as an institution for providing vocational courses to suit the needs of the region.	3. The UGC should undertake continuous assessment of the standards of colleges and provide necessary guidance and help to them but this should be done through universities and State Governments. Universities and State Governments may consider whether an academically nonviable college, which only duplicates facilities already available in the same area should be closed down or reorganised.
4. Affiliation of colleges must vest only with a university and be given on academic grounds alone and no extraneous pressures should be allowed to come into play. No new college should be given affiliation by a university without UGC's prior approval	4. A national policy about affiliation of colleges should be framed, in the light of which it would be for a university to consider the matter. While affiliating a college, the university concerned should certify that guidelines provided by the UGC in this regard are fulfilled and then only the college should be eligible for assistance by the Commission.
5. A reasonably uniform and sound system of grant-in-aid to affiliated colleges all over the country should be evolved from time to time by UGC which should be followed by the governments concerned so that colleges are run with adequate resources. The Commission should also lay down guidelines and procedures so that the managing committees function in the best interest of colleges.	5. The Commission should evolve suitable guidelines for grants-in-aid to affiliated colleges and for the functioning of their Managing Committees.

6 The Commission should provide guidance to existing colleges so that within a specified time, with necessary help, they improve their functioning and conform to required academic and administrative standards The procedures should contain a provision that a college will be liable to be derecognized if it does not show the required improvement	6 The recommendation is accepted The State Governments should be advised to adopt it
7 The Commission should take initiative in selecting autonomous colleges and, with the cooperation of the state governments, help them to function as such	7 The UGC should implement this recommendation in consultation with the State Governments
8 Priority attention should be given by the UGC to restructuring courses particularly in rural colleges, to make them relevant to rural needs and provide guidance and help to universities to evolve new cources for the special needs of different regions	8 The UGC should implement this recommendation in cooperation with state governments and universities.
9 Faculty improvement programmes as well as programmes for improvement of teaching in colleges must be carefully planned with the participation of colleges teachers and a system of regular follow-up and feed-back evolved	9 The UGC should implement this recommendation with the help of university/college teachers
10 Two principals or teachers of colleges should be appointed members of the UGC	10 See decision on Recommendation No 1 of Chapter VI
11 The Commission needs to be given more funds to improve colleges which are the backbone of university education having 85 per cent students and 83 per cent teachers in them	11 The UGC and State Governments should move in this direction by providing adequate resources

CHAPTER - IV

1 To enable it to cope with its role in respect of coordination and improvement of standards of universities, the University Grants Commission must be provided much larger funds than it has been so far	1 Within overall national priorities, adequate funds should be provided to enable the UGC to fulfil the role in regard to coordination and improvement of standards.
2 The grants should be related to the financial position and needs of each university or college and aim at promoting as well as sustaining centres of excellence and developing the general standards in other institutions	2 & 3 There is already provision in the UGC Act for the UGC to fulfil its responsibility in this regard
3 The Commission should take an overall view of the financial position of universities and build up sound statistical information regarding different sources of income and different items of expenditure of universities and colleges Such information together with data about per student cost in different institutions in terms of courses of study should be important considerations in the matter of allocation of grants	
4 Maintenance grants to central universities and their affiliated colleges should be seperately budgeted, seperately operated upon and dealt with in a separate report on maintenance activities as distint from development activities	4 The recommendation is accepted.
5 On various items matching grants should be paid on the same basis to central as well as state universities by the UGC However, in the case of colleges, particularly those in remote areas and poorer regions, the matching pattern needs to be further amended to the advantage of the institutions	5 Since entire expenditure on Central Universities is met by Government of India there is no question of matching grant for these universities The recommendation regarding colleges is accepted
6 Consequent to education becoming a concurrent subject, rules and procedures should be laid down to ensure that the state governments make provision for their matching shares in respect of all the schemes of the Commission for improvement of higher educational institutions Also the UGC should be able to ensure that infrastructural facilities are fully provided by the sponsoring authority before an institution is established	6 The recommendation is accepted The Commission can take action under the UGC Act to advise the State Governments regarding provision of funds in respect of various development schemes and also for providing infrastructure before an institution is established The Education Ministry should also advise the State Governments in this regard
7 The UGC Act needs to be suitably amended to empower the Commission to advance loans for construction of such buildings by the higher educational institutions as would give them some returns e g hostels and residences The Commission needs to be provided revolving funds for stating a loan scheme of this type The loans should preferably be interest free and recoverable in easy instalments	7 The recommendation to advance loans for construction of hostels and staff residences is accepted The recommendation can be better implemented by the State Governments by securing if necessary, finances from institutions such as the L I C. to meet heir matching share of grants for such purposes already being given by the U G C

8. The UGC should expedite laying down standard lay-outs and other specifications of all educational buildings.	8. While laying down standard lay-outs may not be possible UGC should lay down norms for all educational buildings.
9. Centres of excellence like the centres of advanced study, which are intended to serve as pacesetters, need to be maintained by the UGC on a regular basis.	9. Recommendation is accepted subject to review of the performance of the centres of advanced study from time to time.
10. The Commission should also consider giving 100 per cent assistance for improvement programmes for post-graduate and research studies.	10. The UGC has already raised the level of assistance in selected areas of improvement of post-graduate and research studies in universities and colleges on the same basis.
11. The UGC should act as an advisory agency for procurement of sophisticated equipment for higher educational institutions, thus saving time of individual institutions and also ensuring uniformity in quality.	11. The recommendation is not accepted.
12. The procedures regarding release of instalment of grants need to be examined thoroughly and such a system evolved as would be conducive to efficient functioning of academic activities on a long-term basis.	12. The recommendation is accepted.
13. Utilisation of grants needs to be checked up more thoroughly than merely through persuasion or by calling utilisation certificates. Small teams should make actual physical verification of such utilisation on a sample basis.	13. The recommendation is accepted. The UGC should associate universities with such physical verification.
14. A system needs to be evolved with the co-operation of state governments so that the state P.W.D. inspects academic buildings and issues necessary certificates without delay.	14. The recommendation is not accepted.

CHAPTER - V

1. A suitable organisation should be set up as a limb of the UGC, with adequate freedom in functioning and it should continually be engaged in studies and research on various aspects of higher education. The science research council or other units already set up or proposed to be set up by the Commission should be merged with it.	1, 2 & 3
2. The UGC through this organisation, should conduct studies on various aspects of higher education like higher education posts and how to reduce them, rural higher education and how to make it relevant to socio-economic needs of the vast rural areas, enrolment and admission policy in higher education, courses of study and examination reform, innovation in teaching methods, educational material and technology, development of languages and production of books. It should perform clearing-house functions on behalf of the UGC. It should have a sound statistical unit as well as units concerned with higher educational planning and evaluation of higher educational institutions in general and montoring of UGC's improvement programmes in particular.	The recommendations are accepted in principle. The details need to be worked out.
3. Research departments of universities as well as individual academicians should be involved in conducting research projects. Research activity should be linked with training programmes for higher educational planners and administrators.	
4. Higher education planning should be the responsibility of the University Grants Commission which should work in close collaboration with the Planning Commission and with the research bodies and other agencies dealing with specialised sectors of education not falling within the purview of the Commission. In order to have closer connection with the Planning Commission, Secretary, Planning Commission, should be an ex-officio member of the UGC. Similarly the UGC and the university system should have closer links with the NCST and there should be larger representation of academicians on the latter body.	4. See decision on the recommendations in Chapter VI & VII.
5. Educational planning in its very nature has to cover a generation and objectives as well as strategies have be evolved in perspective. The UGC should prepare long term perspective plans for higher education and develop models suited to national needs. The plans	5. The recommendation is accepted.

for different five year periods should be drawn in the context of the perspective plan. The task of preparing plan proposals for the Commission's consideration should be entrusted to the proposed organisation for research, planning and evaluation.	
6. Commitments by the Planning Commission in regard to outlays for higher education should be firm and made well in advance to enable proper planning of programmes for a plan period.	6. While it will not be possible for the Planning Commission to give commitments in advance, in the context of Recommendation No. 5 UGC should be given broad and reliable indication in regard to long-term outlays.
7. Education is in major part a "non-plan" activity and the non-plan sector of higher education calls for constant review and modification in the light of overall strategy for educational development. The UGC should be given the authority to oversee and modify non-plan programmes of higher education in the states. This should be possible as a result of education having been brought on the Concurrent List.	7. The UGC when considering development programmes for the universities, should take into account their revenue on the non-plan side so as to coordinate both the non-plan and plan activities and make the total programmes more productive and purposeful.
8. A system needs to be devised to ensure that adequate provision is made for all programmes when after a plan period they are converted under non-plan budget of a university. In the allocations made by the Finance Commission to the states the provisions corresponding to committed expenditure on higher education should not be diverted to other sectors.	8. The recommendation is accepted.
9. Manpower requirements should guide framing of educational programmes even in non-professional higher educational sectors and for the determination of an enrolment policy. Control of numbers in general higher education needs to be exercised to ensure proper standards in universities and colleges.	9. It may be difficult to draw up non-professional higher education programmes in relation to manpower requirements; nonetheless, the recommendation is accepted in principle and a beginning should be made in this direction with the association of competent agencies.
10. The UGC in close cooperation with the Association of Indian Universities and other academic as well as professional bodies should undertake accreditation and grading of university departments and colleges and evolve a proper system of accreditation. The Commission be given the power to recommend to government de-recognition of a degree of a university on grounds of lack of standards, as the Indian Medical Council is empowered in respect of Medical colleges.	10 The recommendation is accepted in regard to accreditation. It is not accepted in respect of derecognition of a degree. The very fact of accreditation or dis-accreditation if made known, would serve the purpose.
11. There should be a system of evaluation of Ph.D. theses, of examinations, of class teaching in higher educational institutions through teams of academicians.	11 The recommendation is accepted.
12. A system should also be evolved for assessment by the universities and colleges of the performance of teachers on an annual basis. This annual assessment should be taken into account in making periodic evaluation of teachers for suitable reward to outstanding persons. There should also be a system of disincentives against poor performance.	12. The recommendation is accepted in principle.
13. The working of the visiting committees needs to be improved and a larger number of academicians of attainment and integrity involved in the task of assessment and evaluation of institutions.	13. The recommendation is accepted.
14. All the programmes aimed at improvement of teaching and the faculty in university departments and colleges should be monitored regularly.	14. The recommendation is accepted.
CHAPTER—VI	
1. The number of members of the Commission should be increased from the present 12 (including Chairman and Vice-Chairman) to 18, by adding six members as follows : (a) two college teachers (including principals) one of whom may, as far as possible, be from a women's college (b) One person from the field of secondary education. (c) One expert in the field of rural higher education.	1. It is not necessary to increase the membership of the Commission which should be a compact body. While choosing members under different categories, the suggestions made by the Review Committee could be kept in view, particularly in respect of a person having knowledge of secondary education. The Govt. while appreciating the reasons underlying the recommendation which seeks to have wider contact of the UGC with various segments of higher education, new role of adult education and rural education, the Commission may have a broad based Advisory Committee consisting of 25 to 30 members to represent the interests suggested by the Review Committee and the Advisory Committee could meet twice a year.

(d) One expert in the field of non-formal education. (e) Secretary, Planning Commission as an ex-officio member.	
2. The choice of members should be so made that broad disciplines as well as universities in different parts of the country find expression in the Commission.	2. The recommendation is accepted.
3. The Commission should organise annual conferences of education ministers, vice-chancellors, selected college principals and state education authorities in different parts of the country. Also some meetings of the Commission itself should be held at places other than Delhi every year.	3. Such conferences may be organised in conjunction with the Ministry of Education & Social Welfare. The recommendation is accepted.
4. The Commission's office should have two main divisions to deal with (a) educational planning and policy and (b) administration and grants.	4. The recommendation is accepted.
5. The planning and policy division should be headed by an academician of standing who possesses expertise in planning, and should have four senior academicians belonging to different broad disciplines who should be in charge of research and evaluation in their respective fields and be allotted areas for establishing regular contact with universities and colleges.	5. The recommendation is accepted. The details of the proposed planning and policy division will have to be worked out.
6. The head of the planning and policy division, who will also be the head of the research, planning and evaluation organisation referred to in chapter V, should without being a member of the Commission, be of a status comparable to that of the Vice-Chairman and act as an expert adviser to the Commission and its chairman.	6. The recommendation is accepted.
7. Senior academicians should be appointed, on tenure basis on deputation from the academic field. Their terms of deputation should be generous and facilities of accommodation and opportunities for research work assured. Other academic staff in the Commission's office should also be appointed on deputation from educational institutions.	7. The recommendation is accepted.
8. The Secretary should head the administration division and be answerable to the chairman. The post should be filled on a tenure basis preferably by an administrator with experience of education or an academician with administrative experience.	8. The recommendation is accepted. The status of Secretary and Additional Secretary of the Commission should be raised to appropriate levels.
9. Arrangement should be made for in-service training of various categories of staff.	9. The recommendation is accepted.
10. The UGC should evolve its own procedures suitable for the efficient functioning of an organisation dealing with academic policies and programmes.	10. The recommendation is accepted.
11. Staff requirements would need to be rationalised in the context of the proposed organisational structure. Recruitment rules would also need to be reviewed.	11. The recommendation is accepted.
12. The Commission should involve larger number of academicians in the work of its committees and give them facilities like accommodation for short stay, for efficient functioning.	12. The recommendation is accepted.
13. The Annual Report of the Commission should not only give "true and full account of its activities during the previous year", as laid down in the Act, but also present to parliament its assessment of problems and perspectives of higher education and of the state of coordination and standards in universities.	13. The recommendation is accepted.
14. The UGC should evolve a system of periodic review of its working and organisation at least once every ten years.	14. The recommendation is accepted.

CHAPTER—VII

7.3(a) The President of India should be the Visitor of all universities in the country.	The recommendation is not accepted.

7.3(b) The University Grants Commission should be advisory agency for the visitor in matter of university education particularly regarding aspects relative to coordination and standards. (c) All acts and statutes of universities should have the prior approval of the visitor who should be advised by the UGC. (d) Appointments of vice-chancellors of all universities should be subject to prior approval of the visitor. (e) The visitor, on the advice of the Commission, should have the power to issue directions to all universities in the country in matters affecting coordination and standards.	7.3 (b), (c), (d) and (e) : These recommendations are not accepted.
7.4(a) The Commission should have six more members as recommended in Chapter VI.	See decision on Recommendation No. 1 of Chapter VI.
(b) The name of the University Grants Commission may more appropriately be changed into University Education Commission.	(b) As UGC is a commonly known expression, no change in the name of the Commission is necessary.
(c) Commission's prior approval to the establishment of new universities and colleges should be obligatory.	(c) Existing provisions in the UGC Act regarding the establishment of new universities and colleges are adequate.
(d) The Commission's functions should include activities relating to development of standards and coordination in respect of all universities and colleges in the country. It should be entrusted with the task of research, planning and evaluation of higher education. The Commission should particularly be authorised to evolve a system of accreditation of university, departments and colleges. It should by law be given the power to recommend to government derecognition of a degree of a university on grounds of lack of standards in the same manner as the Indian Medical Council is empowered in respect of a medical college.	(d) The recommendation is accepted in principle. This should be implemented through administrative action. Also see decision on Recommendation No. 10 of Chapter V.
(e) The Commission should be enabled to advance loans for buildings to universities and colleges.	(e) The recommendation is not accepted.
(f) The annual report of the Commission should besides giving a true and full account of activities also present before parliament problems and perspectives of higher education and the situation in regard to coordination and standards in universities and colleges. The annual reports should be circulated to all universities and state governments.	(f) The recommendation is accepted. Suitable provisions in this regard should be made in the rules/regulations to be made under Section 25 of the UGC Act.
(g) The Commission should report separately on (i) the maintenance activities in respect of central universities and their affiliated colleges and such other institutions as may be given maintenance grants, and (ii) the developmental activities in respect of all universities.	(g) This recommendation is accepted.
7.6 (13)(3) Article 30(1) of the Constitution : substitute " " after 'choice' by "," and add : 'subject to requirements of law, rules or regulations framed under entry 66 of List I of the Seventh Schedule.'	Constitutional amendment would not be necessary. However, the criteria prescribed by the UGC for a scheme of assistance will apply to all institutions equally.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to the University Grants Commission, all State Governments, Universities, Institutions deemed as Universities, all Ministries of the Government of India, President's Secretariat, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office, Planning Commission, etc., for suitable action, wherever necessary.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India, for general information.

P. SABANAYAGAM,
Secy.

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT
(TRANSPORT WING)

New Delhi, the 30th April 1979

RESOLUTION

SHIPPING

No. MSD(57)/78-MD.—The Government of India have decided to set up a High Level Committee to examine the problems of Indian shipping in the context of the present crisis in the shipping industry. The composition of the Committee will be :—

Chairman

(1) Dr. R. M. Honavar,
Chief Economic Adviser,
Ministry of Finance,
(Department of Economic Affairs),
New Delhi.

Members

(2) Shri G. V. Kapadia,
Chairman,
General Insurance Corporation,
Industrial Assurance Building,
Churchgate, Bombay-400020.

(3) Shri D. S. Nim,
Retd. Joint Secretary to the Govt. of India,
Ministry of Labour.

(4) Shri S. K. Sehgal,
Chief, Indian Institute of Foreign Trade,
Nehru Place, New Delhi.

(5) Executive Director,
Shipping Development Fund Committee,
Orient House, Mangalore Street,
Balard Estate, Bombay-400038.

(6) Financial Adviser & Joint Secretary to the Government of India
Ministry of Shipping and Transport.

The Member Secretary, SDFC will be Secretary of the Committee.

2. The terms of reference of the Committee will be as follows :—

(i) To examine the adequacy of the package of assistance to Indian shipping already approved by the Government upto 31 March, 1979 and to recommend long-term measures for the management of the current shipping crises;

(ii) To examine the working of the existing management structure of Indian shipping with reference to its size, ownership and viability and suggest any structural changes, if considered necessary;

(iii) To consider whether the regrouping of the existing shipping companies is necessary or possible for obtaining more balanced and viable composition of fleets;

(iv) To recommend the lines of action to be adopted in case some of the Indian Shipping Companies are not able to fulfil the pre-condition prescribed for the grant of further assistance;

(v) Whether the Shipping Development Fund Committee should foreclose the mortgage of defaulting companies and Government should merge them to form a new public sector shipping company;

(vi) To examine the extent to which the existing financial and other parameters prescribed by the Shipping Development Fund Committee should be relaxed or modified in the process of helping Indian Shipping Companies to tide over the present crisis; and

(vii) To make any other recommendation which may improve the financial and operation viability of Indian shipping.

3. The Committee will have its headquarters at New Delhi.

4. The Committee will submit its report within a period of three months from the date of its constitution. The Committee may also submit an interim report indicating its suggestions for relief to be provided to shipping companies beyond 31 March, 1979 till the submission of a final report.

5. The Committee will devise its own procedures. It may call for such information and take such evidence as it may consider necessary. The Ministries/Departments of the Government of India will furnish such information and render such assistance as may be required by the Committee.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India Part I Section 1.

Ordered also that a copy of the Resolution be Communicated to all Ministries/Departments of India/Maritime State Governments/Administrations of Union Territories and all other concerned.

Smt. B. NIRMAL,
Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1979